पत्र संख्या–6 A BASU (1)04/2026 – 3131 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–19/6/2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान वेतन, परिसम्पतियों के निर्माण एवं गैर वेतन मद में 76,39,60,000/– (छिहत्तर करोड़ उनतालिस लाख साठ हजार) मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान वेतन, परिसम्पतियों के निर्माण एवं गैर वेतन मद में 76,39,60,000/– (छिहत्तर करोड़ उनतालिस लाख साठ हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–'क' संलग्न।

2. यह प्रतिबद्ध व्यय मद में आकस्मिकता आदि मदों में व्यय से संबंधित है। इन मदों में राशि की विमुक्ति के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना एवं महाविद्यालय में होने वाले अन्य विविध कार्यों को करने में सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी, जिससे विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से शिक्षा तथा शोध का कार्य सम्पन्न हो सकेगा।

3. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, संजय गाँधी डेयरी तकनीकी संस्थान, पटना के लिए सहायक अनुदान– वेतन, परिसंपत्तियों के निर्माण एवं गैर वेतन के लिए राशि की स्वीकृति प्रस्तावित है। प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	व्यय का मद/विषय शीर्ष	राशि
1.	सहायक अनुदान वेतन (0001–31.04)	59,58,60,000 करोड़
2.	सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण (0001–31.05)	1,00,00,000 करोड़
3.	सहायक अनुदान गैर वेतन (0001–31.06)	15,81,00,000 करोड़

4. प्रस्तावित राशि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों/पदाधिकारियों का वेतन, आधारभूत संरचना के विकास एवं अन्य विविध कार्यों पर प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जायेगा।

5. योजना कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

6. निदेशक, पशुपालन एकमुश्त राशि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को बी०टी०सी० फार्म–46 पर पी०एल० खाता में उपलब्ध करायेंगे। नियमानुसार पी०एल० खाता में उतने ही राशि का अन्तरण किया जाना चाहिए जितना तुरन्त व्यय आवश्यक हो। अनावश्यक राशि पी०एल० खाता में पार्क नहीं किया जाए।

7. निदेशक, पशुपालन का यह दायित्व होगा कि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को उपलब्ध कराये जाने वाले राशि का उपयोग कुलपति लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति पर कर रहे हैं या नहीं इसका अनुश्रवण कर विभाग को अनुश्रवण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी ससमय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. मुख्य शीर्ष–2415 –कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–03 –पशुपालन, लघु शीर्ष–277 –शिक्षा, उप शीर्ष–0001 –बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, माँग संख्या–02, विपत्र कोड 02–2415032770001, विषय शीर्ष–0001.31.04–सहायक अनुदान वेतन, विषय शीर्ष–0001.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण, 0001.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन से किया जाएगा।

9. इस योजना के तहत सहायक अनुदान वेतन एवं सहायक अनुदान गैर वेतन (पेंशन) के तहत स्वीकृत राशि 74,39,05,000/–(चौहतर करोड़ उनचालीस लाख पाँच हाजर) का 33 प्रतिशत (हजार के गुणक में) अर्थात् लगभग रुपये 24,54,89,000/– की राशि के विमुक्ति हेतु वित्त विभागीय सहमति प्राप्त है। शेष राशि की विमुक्ति के लिए पुनः वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता होगी।

10. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे। साथ ही इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव होंगे।

11. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का यह दायित्व होगा कि इस योजना में स्वीकृत राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उसके विकास पर करेंगे ताकि विश्वविद्यालय अपने लक्षित उद्देश्य को प्राप्त कर सके।

12. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना तथा निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं

महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

13. यह एक चालू योजना है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में सहायक अनुदान वेतन अंतर्गत रुपये 59,58,60,000/– एवं सहायक अनुदान गैर वेतन (पेंशन) अंतर्गत 14,80,45,000/– सहित कुल प्रस्तावित राशि 74,39,05,000/–(चौहत्तर करोड़ उनचालीस लाख पाँच हजार) का 33 प्रतिशत अर्थात 24,54,89,000/–(चौबीस करोड़ चौवन लाख नवासी हजार) रुपये की राशि की विमुक्ति के प्रस्ताव पर माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6A BASU(1) 04/2026 के पृष्ठ–30/टि० एवं दिनांक–18.06.2026 एवं इस योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6A BASU(1) 04/2026 के पृष्ठ–10/टि० एवं दिनांक–21.05.2026

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6A BASU(1) 04/2026 के पृष्ठ–05/टि० तथा डायरी संख्या–228, दिनांक–10.04.2026

15. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन महालेखाकार से करा लेना सुनिश्चित करेंगे।

16 पूर्व के वित्तीय वर्षों में स्वीकृत योजना के आलोक में विश्वविद्यालय को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पशुपालन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ही इस वित्तीय वर्ष में राशि आवंटित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन महालेखाकर से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

17. राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। साथ ही 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृति आदेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से अगले एक माह के अन्दर करा लिया जाय।

विश्वासभाजन,

19/6

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)04/2026– 3131 /पटना–15, दिनांकः– 19/6 /2026.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)04/2026– 3131 /पटना–15, दिनांकः– 19/6 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)04/2026– 3131 /पटना–15, दिनांकः– 19/6 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)04/2026– 3131 /पटना–15, दिनांकः– 19/6 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय लेखा शाखा एवं पशुपालन निदेशालय के लेखा शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)04/2026– 3131 /पटना–15, दिनांकः– 19/6 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रति के साथ/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना प्रसार, बिहार, पटना/महालेखाकार, लेखा परीक्षा कार्यालय, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)04/2026– 3131 /पटना–15, दिनांकः– 19/6 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

19/6

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6A BASU(1)04/2026– 3131 /पटना–15, दिनांकः– 19/6 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अप–लोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–क

वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की अन्य विविध कार्यों पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणीः–

(राशि रुपये करोड़ में)

विपत्र कोड 02–2415032770001

क्र०सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0001.31.04 –सहायक अनुदान– वेतन	59.5860	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना।
2	0001.31.05 –सहायक अनुदान– परिसम्पतियों के निर्माण	1.0000		
3	0001.31.06 –सहायक अनुदान– गैर–वेतन	15.8100		
योगः–		76.3960		

कुल (रुपये छिहत्तर करोड़ उनचालीस लाख साठ हजार) मात्र।

3131
19/6/26

19/6

संयुक्त सचिव